(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–विनोद कुमार, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या :– 388/2023 प्रा0पत्र

उनवान

1. श्री उदयलाल पुत्र भागीरथ गाडरी निवासी आकोला पुरावतों का ग्राम पंचायत सिदडियास, तहसील व जिला भीलवाडा। ––प्रार्थी

बनाम

1 भागीरथ पुत्र भोला गाडरी निवासी आकोला पुरावतो का तहसील व जिला भीलवाडा।
2 चन्द्रा पुत्र भागीरथ गाडरी निवासी आकोला पुरावतो का तहसील व जिला भीलवाडा।
3 कालू पुत्र भागीरथ गाडश्री निवासी आकोला पुरावतो का तहसील व जिला भीलवाडा।
4 गोपी पुत्र भोला गाडी निवासी आकोला पुरावतो का तहसील व जिला भीलवाडा।
5 लादु पुत्र भोला गाडरी निवासी पुरावतो का आकोला तहसील व जिला भीलवाडा।
6 हजारी पुत्र भोला गाडरी निवासी पुरावतो का आकोला तहसील व जिला भीलवाडा।
7 लाली पुत्री भोला गाडरी निवासी पुरावतो का आकोला तहसील व जिला भीलवाडा हॉल पत्नी मोती गाडरी निवासी सिदडियास तहसील व जिला भीलवाडा।
8 राज0 राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।
9 उपपंजीयक पंजीयन कार्यालय भीलवाडा। विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–212 आर.टी.ए.

दिनाक:–06.12.2023

राजस्व प्रार्थना पत्र बाद जांच पेश हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित अन्तरिम बहस हेतु निवेदन किया। अधिवक्ता प्रार्थी के निवेदन को स्वीकार कर अंतरिम बहस करने का आदेश दिया गया जिस पर अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अंतरिम बहस प्रार्थना पत्र की गई। हमने अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा की गई बहस को एक तरफा सुना गया। अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस निवेदन किया कि मौजा आकोला प0ह0 सिदडियास तहसील व जिला भीलवाडा के आराजी संख्या 100, 175, 178, 285/1, 451/1, 459, 461, 462/1, 694, 700, 701/1, कुल किता 11 कुल रकबा 3.2246 हैक्टेयर भूमि स्थित है। उक्त वर्णित आराजी प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 लगायत 07 के संयुक्त हक अधिकार की होकर पुस्तैनी कृषि आराजियात है, जो वर्तमान में विपक्षी संख्या 1 व विपक्षी संख्या 4 लगायत 7 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है, विपक्षी संख्या 1 लगायत 7 के व प्रार्थी के पूर्वज भोला पुत्र मगना गाडरी के नाम जमाबन्दी संवत 2071 से 2074 में दर्ज रेकार्ड थी, भोला पुत्र मगना गाडरी की मृत्यु होने पर उक्त आराजियात विरासत से विपक्षी संख्या 01 व 4 लगायत 07 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज हुई, प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 2 व 3 का जन्म भोला पुत्र मना के जीवनकाल में ही हो चुका था, विपक्षी संख्या 01 के नाम दर्ज 1/5 हक हिस्से में प्रार्थी का 1/20 हक हिस्सा है। विपक्षी संख्या 01 विपक्षी संख्या 2 व 3 की सिखावट व बहकावट में होने से वादग्रस्त आराजी को खुर्द बुर्द विक्रय हस्तानान्तरण करने पर आमादा है, यदि वादग्रस्त आराजियात को विक्रय, हस्तानान्तरण व खुर्द बुर्द कर दिया तो अपूरणीय क्षति होगी अतः प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र पर विपक्षी संख्या 1 से लगायत 3 के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने की प्रार्थना की है एवं विपक्षी संख्या 08 व 09 को वादग्रस्त आराजियात के विक्रय व पंजीयन व हस्तानान्तरण नही करने के लिए अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने की प्रार्थना की गई है।

अन्त में निवेदन किया कि अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से इस आशय से पाबन्द किया जावे कि विपक्षी संख्या 01 विपक्षी संख्या 2 व 3 की सिखावट व बहकावट में आकर वादग्रस्त आराजी को खुर्द बुर्द विक्रय हस्तानान्तरण मौके व राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। विपक्षी संख्या 08 राजस्व रेकार्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन नही करे, विपक्षी संख्या 09 पंजीयन नही करे।

हमने अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का अवलोकन किया। दस्तावेजात नकल जमाबन्दी, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र का अवलोकन किया। मनन् किया। वादग्रस्त ग्राम आकोला प0ह0 सिदडियास तहसील भीलवाडा के आ.नं. 100, 175, 178, 285/1, 451/1, 459, 461, 462/1, 694, 700, 701/1, कुल किता 11 कुल रकबा 3.2246 है0 भूमि भोला की विरासत से नामान्तकरण संख्या 1953 दिनांक 20.9.2023 को गोपी पुत्र भोला, भागीरथ पुत्र भोला, लादु पुत्र भोला, लाली पुत्री भोला हजारी पुत्र भोला हिस्सा प्रत्येक 1/5 जाति गाडरी सा0 देह खातेदार दर्ज हुआ वादग्रस्त आराजी प्रार्थी के पिता भागीरथ पुत्र भोला के 1/5 हिस्से में से 1/20 हक हिस्सा बनना प्रतीत होता है। प्रार्थी विपक्षी संख्या 01 का जायन्दा पुत्र होकर वादग्रस्त आराजियात पुस्तैनी प्रतीत होने से प्रार्थी हक हिस्सा प्राप्त करने का प्रथम दृष्टया अधिकारी होने से प्रार्थी का प्रथम दृष्ट्या मामला बनता है एवं सुविधा सन्तुलन का बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में है।

अधिवक्ता प्रार्थी के निवेदन को एक तरफा अंतरिम रूप से स्वीकार किया जाकर विपक्षी संख्या 01 से लगायत 03 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से इस प्रकार पाबन्द किया जाता है कि मौजा आकोला प0ह0 सिदडियास तहसील भीलवाडा के आ.नं. 100, 175, 178, 285/1, 451/1, 459, 461, 462/1, 694, 700, 701/1, कुल किता 11 कुल रकबा 3.2246 है0 भूमि में प्रार्थी के 1/20 वॉ हिस्सा तक रहन, विक्रय एवं बक्षीस नही करे रेकार्ड की यथास्थिति आगामी पेशी दिनांक 03.01..2024 तक बनाये रखें। रजिस्टर्ड ए.डी. सम्मन जारी करे। पत्रावली वास्ते विपक्षीगण की तलबी हेतु दिनांक 03.01.2024 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाडा

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाडा

3/1/24

प्रकरण में राजीनामा हो जाने के कारण कोई कार्यवाही नहीं चाहता हूं।
उदयलाल

भागीरथ

चन्द्रा

मोहन

नि. [illegible]

नि. [illegible]

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी एवं प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। विपक्षी संख्या 1 से लगायत 3 उपस्थित। प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 से लगायत 3 के मध्य राजीनामा वाद प्रकरण सं. 1843/2023 में राजीनामा हो जाने से मूलवाद प्रकरण में कार्यवाही समाप्त की जा चुकी। राजीनामा प्रार्थना पत्र में पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को भी निरस्त करने की प्रार्थना की गई है। मूल वाद प्रकरण में वादी के स्वयं के प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही समाप्त कर दिये जाने से अब इस प्रकरण में भी कार्यवाही शेष नहीं रहती है। अतः प्रार्थी के स्वयं के प्रार्थना के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.A. को निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसल मुताबिक होकर दाखिल दफ्तर हो।

[signature] 03/1/24

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा